न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—542/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/542)

1. जयचन्द यति पुत्र स्व0 श्री रूपचन्द यति जाति जैन, निवासी सरावगी मौहल्ला, ब्यावर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. सुरेशचन्द यति पुत्र स्व0 श्री रूपचन्द यति जाति जैन, निवासी मालियान चौपड के पास, ब्यावर।

रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला ब्यावर।
3. जिला कलेक्टर, ब्यावर जिला ब्यावर।
4. उप—पंजीयक कार्यालय, ब्यावर जोधपुर—उदयपुर लिंक रोड, ब्यावर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 09.10.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 86/2025 (251/2025)

उपस्थितः—

1. श्री प्रशांत सोनी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4

निर्णय

दिनांकः—30.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2025 (251/2025) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी/प्रार्थी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 117/2025 अंतर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया

गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 09.10. 2025 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2025 (251/2025) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर के द्वारा पारित आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय विधि के सुस्थापित प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रिया की पालना किए बगैर पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान रेस्पो0/वादी के प्रार्थना पत्र एवं वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी के जवाब के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तीनों घटकों को अलग अलग तय कर प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिए था। परन्तु मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्य पर गौर किए वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी के द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना ही आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो कि नोन स्पिकिंग एवं नोन–रिजण्ड निर्णय की श्रेणी में होने से अपील के माध्यम से काबिल निरस्त योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र वर्तमान रेस्पो0/वादी के द्वारा इन कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया, कि राजस्व ग्राम नयानगर पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक नयानगर तहसील ब्यावर में अवस्थित खाता संख्या पुराना 236 नया 1466 के खसरा न0 566 रकबा 0.6313 है०, खसरा न0 584 रकबा 0.3237 है०, खसरा न0 585 रकबा 0.1214 है०, खसरा न0 586 रकबा 0.0971 है०, खसरा न0 587 रकबा 0.0324 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.2059 है0 कृषि भूमि स्थित हैं। जिसके वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी/अप्रार्थी एवं वर्तमान रेस्पोडेन्ट/वादी/प्रार्थी 1/2–1/2 के बराबर के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त आराजी वर्तमान अपीलान्ट एंव रेस्पोडेन्ट की संयुक्त अविभाजित आराजी है, जिसपर दोनों अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज है। वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया गया, चूंकि उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियों संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमियों है, अतएव अप्रार्थी संख्या 1 को यह किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है, कि वह संयुक्त खातेदारी की भूमियों के किसी भी विशिष्ट भू–भाग पर किसी तरह का कोई निर्माण करे या इन भूमियों पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना व नियमानुसार अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित करवाये बिना उपयोग करे। वर्तमान रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र अंकित किया गया, कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है, अप्रार्थी उक्त भूमि का बिना बंटवारा करवाये बेचान करने अकृषि प्रयोग करने पर आमदा है। वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने उक्त वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 92 ए राज० काश्त० अधि० की धाराओं के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वर्तमान रेस्पो0/वादी वादपत्र में कथन किया गया, कि वादपत्र में अंकित भूमि वादी एवं प्रतिवादी की शामिल संयुक्त खातेदारी भूमि है, परन्तु वर्तमान रेस्पो0/वादी ने

विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारा किए जाने के लिए वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्तमान रेस्पोडेन्ट/वादी ने उक्त वादपत्र केवल केवल वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में अवरोध पैदा करना है। वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी एवं वर्तमान रेस्पोडेन्ट/वादी के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 03.05.2014 को लिखा गया, जिसे दोनों पक्षों ने पूर्ण रूप से समझ कर मौके पर भूमि की नाप कर इकरारनामें के साथ नक्शा बनाकर दिनांक 15.05.2014 को 500 रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया, जिसे दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से नोटेरी अधिवक्ता श्री सुरेश जालान की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर आपसी सहमति बंटवारानामा तस्दीक करवा लिया गया। जिसके आधार पर वर्तमान अपीलान्ट/ प्रतिवादी ने बंटवारा में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को अत्यधिक महमत एवं परिश्रम कर उक्त भूमि को उपजाउ बनाया गया, अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकान आदि बनाया गया। वर्तमान रेस्पोडेन्ट/वादी ने आपसी सहमति से लिखित बंटवारा इकरारनामे के तथ्यों को छुपाकर उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी ने जरिये जवाब उपरोक्त सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट करने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ब्यावर ने वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी के तथ्यों पर बिना कोई विवेचन किए सरसरी तौर पर वर्तमान रेस्पो0/वादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार कर लिया गया। जो कि विधि के सुस्थापित प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपीलाधीन आक्षेपित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है। वर्तमान अपीलान्ट/प्रतिवादी एवं वर्तमान रेस्पोडेन्ट/वादी के द्वारा आपसी सहमति से लिखित में बंटवारानामा इकरारनामा दिनांक 03.05.2014, (15.05.2014) में दोनो पक्षों ने वादपत्र आराजी खसरा न0 566, 584, 585, 586, 587 के साथ–साथ अन्य आराजी खसरा न0 565/1 कुल भूमि 08 बीघा 15 बिस्वा 13 बिस्वासी भूमि को आपसी सहमति से आपस में बांट लिया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जाहिर की गई, कि दोनों पक्षों ने अलग अलग काफी प्लाटों का बेचान कर दिया है। जिसके से वर्तमान अपीलान्ट/जयचन्द ने प्लाट संख्या 2, 5, 7, 13 तथा प्लाट संख्या 1 का उत्तर दिक्षा का भाग का बेचान किया गया। वर्तमान रेस्पो0/वादी/सुरेशचन्द ने प्लाट संख्या 3, 6 तथा प्लाट संख्या 1 का दक्षिणी भाग का बेचान किया गया। उक्त भूमि में शेष बचे प्लाटों का बंटवारा दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से बाई मीट्स एवं बाउण्डस् के आधार पर कर लिया है। जिसके बाद दोनों पक्षों ने बंटवारा इकरारनामा में सारणी बनाकर अपने अपने हिस्से में आई भूमि का वर्णन देकर बंटवारा कर लिया गया, साथ ही इकरारनामे के साथ मौके का नजरी नक्शा बनाकर सलंग्न कर दिया गया। जिससे की बंटवारा में लिखित सभी तथ्य दोनों पक्षों को पूर्ण से समझ लिये गये। वर्तमान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने उक्त लिखित सहमति बंटवारानामा के आधार पर प्राप्त भूमि का बेचान भूखण्डों के रूप में कर दिया गया। उक्त सभी तथ्यों को छुपाकर वर्तमान रेस्पोडेन्ट/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अस्वच्छ हाथों से वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी तथ्य का अवलोकन किए सरसरी तौर पर बिना विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना किए बगैर ही आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस बात पर कोई ध्यान नहीं

दिया, कि वर्तमान रेस्पो0/वादी ने वादग्रस्त आराजी जो कि राजस्व रिकोर्ड के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसके वादी एवं प्रतिवादी बराबर के खातेदार काश्तकार है, वादी ने उक्त वादपत्र प्रतिवादी को संयुक्त खातेदारी की भूमि को बिना बंटवारा करवाये बेचान, निर्माण एवं खुर्द बुर्द करने से रोकने के लिए उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया गया, वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र बंटवारा बाबत् प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि वादी स्वयं इस तथ्य को जानता था, कि वादपत्र में अंकित भूमि का दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है, कृषि नियमों के अनुसार एक जोत के लिए दो बार बंटवारा नहीं किया जा सकता है। वादी ने उक्त वादपत्र केवल राजस्व रिकोर्ड के इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त किसी भी तथ्य पर बिना गौर किए आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2025 (251/2025) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (2014) 1 डीएनजे 245, (2021) 2 आरएलडब्ल्यू 1555 प्रस्तुत किए हैं।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात राजस्व ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भू अभिलेख निरीक्षक नयानगर तहसील ब्यावर में स्थित है। प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियों के खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं व वादग्रस्त कृषि भूमियों पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी संख्या 1 का नाम उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार नाम अंकित चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमियों का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी सं० 1 का उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियों में 1/2 हक हिस्सा है एवं अप्रार्थी सं० 1 भी उक्त वर्णित भूमियो में 1/2 हिस्सा है। राजस्व अभिलेख में भी अप्रार्थी सं० 1 का नाम बतौर सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। वादग्रस्त भूमियां अविभाजित भूमियों है एवं राजस्व अभिलेख एवं मौके पर संयुक्त अविभाजित भूमियों के रूप में ही विद्यमान चली आ रही है एवं प्रार्थीगण इन भूमियों पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है। चूंकि उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमियां है, अतएव अप्रार्थी सं० 1 को यह किसी भी प्रकार से हक अधिकार नहीं है कि वह संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की भूमियों के किसी विशिष्ट भाग पर किसी तरह का कोई निर्माण करे या इन भूमियों पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना व नियमानुसार अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित करवाये बिना अकृषि उपयोग करे या आवासीय भूखण्ड विकसित करे। अप्रार्थी सं० 1 को इस बाबत् भी कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त भूमियों पर कृषि करने में बाधा उत्पन्न करे एवं उन्हें इन भूमियों के उपयोग उपभोग से किसी प्रकार से वंचित करे या प्रार्थीगण को उक्त भूमियों से बेदखल करे। अप्रार्थी सं० 1 को वादग्रस्त कृषि भूमियों का नाप व सीमांकन से बंटवारा करवाये बिना इन संयुक्त अविभाजित भूमियों पर किसी भी प्रकार का प्रार्थीगण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य करने या इनके किसी भाग को अकृषि

प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अवैध रूप से भूखण्ड विकसित करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 की नियत खराब है एवं वह येनकेन प्रकारेण वादग्रस्त कृषि भूमियों, सम्पूर्ण को ही हडपना चाहता है एवं प्रार्थीगण को उनकी संयुक्त खातेदारी हक अधिकार की भूमियों से बेदखल करना चाहता है व उन्हें इन भूमियों पर खेती नहीं करने देना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात वाकै ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भू अभिलेख निरीक्षक नयानगर तहसील ब्यावर खाता संख्या नया 1466 के खसरा नम्बर 566, 584, 585, 586, 587 कुल किता 5 कुल रकबा 1.2059 है0 है जिसके अपीलांट व रेस्पोडेंट 1/2–1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार/काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.10.2025 में विवादित आराजीयात बाबत उभयपक्षों को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु पाबंद किया गया। उभयपक्षकारान के मध्य इकरारनामा आपसी सहमति के बंटवारे का दिनांक 21.05.2014 को हो चुका था जिस पर उभयपक्षों के हस्ताक्षर भी हैं व उक्त इकरारनामे में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार उभयपक्षकारान अपनी संपत्तियों को रहन, बेचान तरक्की, निर्माण आदि कर सकेंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर प्रकरण में उभयपक्षों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया कि धारा 188 का अनुतोष सहखातेदारी में नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2025 भी प्रेषित की गई जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 566, 584, 585, 586, 587 की भूमि रिक्त है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किए बिना ही प्रकरण में निर्णय

पारित किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेंट के विरूद्ध बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– विवादित आराजीयात का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिए साक्ष्य व सबूतों से किया जाना शेष है। इस अनुसार यदि अपीलांट को चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता है तो यह न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध होगा उक्त आराजीयात में अपीलांट/अप्रार्थी का हक हिस्सा निहित है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :– वादग्रस्त आराजीयात जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य विवादित आराजीयात है। जिसमें मूल वाद के पश्चात हक व अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता है तो अपीलांट को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से यह बखूबी साबित किया गया है कि उन्हें अपील के माध्यम से चाहा गया अनुतोष नहीं मिलने से वह किस प्रकार से प्रभावित होगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों मूलभूत बिंदु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध होते है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का न्यायालय हाजा द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

आर0बी0जे(9)2002 पेज 283–***RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955-SECTION 212-order of temporary injunction cannot passed against co-tenant, to deprive him from use of his share of land.***

न्यायिक नजीर आर0आर0डी 1988 पेज 316 श्रीमती धूली बनाम मांगी में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ***" साधारणतया एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता।"*** *न्यायिक नजीर* ***1978 आर0आर0डी0 पेज 638 में भी स्पष्ट अंकन है कि "सहकृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं होगी।"***

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन व न्यायिक नजीरों के वर्तमान प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2025

(251/2025) में पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर